न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)
राजस्व लोक अदालत केम्प नोवी, तहसील सुमेरपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री विनोद कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस.

राजस्व विविध सं.– 22/2017
दायर तिथि– 12.05.2017
तारीख फैसला– 07.05.2018

वादीगण– **बनामः** **प्रतिवादीगण–**

शंकरलाल पुत्र ठाकरीरामजी
जाति मीणा निवासी बापूनगर
पालडी जोडक तहसील सुमेरपुर

1. तेरसाराम पुत्र रानाजी गरासिया निवासी घरट मोरस तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार(भूमिधारी) सुमेरपुर

राजस्व विविध अन्तर्गत धारा 251(ए) आर.टी.एक्ट, 1955

–:निर्णयः–

(1) प्रार्थी ने खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु रास्ते की सुखाधिकार व रास्ते का राजस्व रेकर्ड में तरमीम करवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा बापूनगर पटवार मण्डल पालडी जोड तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 965/26 रकबा 0.30 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल आई हुई स्थित है। वर्तमान नक्शा ट्रेस व मौके अनुसार प्रार्थीगण ग्राम बापूनगर पटवारी मण्डल पालडी के खसरा नं. 965/27 में होकर आना जाना करते हैं। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने, ट्रैक्टर व बैल गाडी लाने ले जाने के लिए उक्त वर्णित रासते का उपयोग करते आ रहे हैं। सलंग्न नजरी नक्शा में बरंग–लाल से दर्शाये अनुसार मौके पर कदीमी से उपयोग व उपभोग में आ रहे रास्ते के सुखाधिकार हेतु गै. मु.रास्ता घोषित करवाने का निवेदन किया गया।
(2) तहसीलदार सुमेरपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट में जाहिर किया है कि ग्राम बापूनगर पटवारी मण्डल पालडी में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 965/27 राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी तेरसाराम पुत्र रानाजी गरासिया निवासी घरट मोरस तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही खातेदार दर्ज है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में कृषि कार्य व देखभाल करने हेतू आने जाने के लिए प्रस्तावित रास्ता भूमि के अलावा अन्य कोई मौके पर रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा खसरा न. 965/27 पूर्वी माठ राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए खसरा नं. 965/26 में जाने हेतु रास्ता चाहा है जो सलंग्न नक्शा ट्रेस में बरंग लाल दर्शाया है।
(3) राजस्व रेकर्ड एवं मौके अनुसार ग्राम बापूनगर के खसरा नं. 965/27 की पूर्वी माठ से रास्ता दिया जाना प्रतित होता है। प्रस्तावित रास्ते पर किसी प्रकार का कोई निर्माण किया हुआ नहीं है एवं तहसीलदार सुमेरपुर ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थीगण द्वारा चाही गई प्रस्तावित रास्ता भूमि जिसकी किस्म बारानी अव्वल है जो प्रतिबंधीत नहीं होने से उपयुक्त है इसके अलावा प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि पर आने जाने का अन्य कोई विकल्प नहीं है।
(4) फलस्वरूप उल्लेखित विश्लेषण विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज जमाबंदी संवत 2073–76 नक्शा ट्रेस इत्यादि तथा पटवारी, व निरीक्षक पालडी की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पूष्टि होती है। जिसके फलस्वरूप हमारे विधिक मतानुसार प्रार्थीगण का कथित प्रार्थना पत्र स्वीकार करके प्रार्थीगण को उल्लेखित अपनी खातेदारी भूमि पर कृषि कार्य व देखभाल करने हेतु आने–जाने व सुखाधिकार के लिए कतिपय

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner

प्रावधानों के तहत प्रस्तावित रास्ता भूमि को सार्वजनिक रूप से गै.मु. रास्ता भूमि घोषित करना उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विश्लेषण व विवेचन तथ्यों के परिणामत कथित प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा बापूनगर पटवार मण्डल पालडी तहसील सुमेरपुर मे स्थित प्राथी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं. 965/26 किस्म बारानी अव्वल मे कृषि कार्य, देखभाल व आने-जानें के लिए कतिपय प्रावधानो के तहत सुखाधिकार हेतु ग्राम बापूनगर मे स्थित भूमि खसरा नं. 965/27 की पूर्वी मात से रास्ते की दूरी कम होने से उक्त दिशा से रास्ता दिया जाता है जिसका क्षेत्रफल चौडाई 4 मीटर एवं लम्बाई 28 मीटर यानी कुल 112 वर्ग मीटर अर्थात 0.0112 हैक्टर भूमि का रकबा मौके पर रास्ता उपयोग हेतु है उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग से लगती हुई है। जो नजरी नक्शा में बरग-लाल से दर्शित है। प्रस्तावित रास्ता भूमि को इस शर्त पर सार्वजनिक उपयोग हेतु गै.मु. रास्ता घोषित किया जाता है कि उपरोक्त घोषित रास्ता भूमि के क्षेत्रफल अनुसार वर्तमान प्रचलित बाजारू दर(DLC) के आधारित तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा मूल्यांकन करके देय राशि की दो-गुणा राशि प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार राजकीय कोष मे जमा करावे, तदपरान्त तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी पालडी माफिक आदेश के राजस्व रेकर्ड में घोषित रास्ता भूमि को सार्वजनिक उपयोग हेतु बतौर गै.मु.रास्ता दर्ज कर व तरमीम कर पालना सुनिश्चित करें। नजनी नक्शा इस आदेश का अभिन्न भाग माना जायेगा।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर जिला-पाली

Scanned by CamScanner